

3D

मध्यप्रदेश विधान सभा

३० फरवरी-मार्च, 1997 सत्र

प्रतीक्षा ग्रन्थालय की वित्तीक विधिक कार्य सूची
प्रतीक्षा ग्रन्थालय (१९८१ संख्या १०४) प्रतीक्षा ग्रन्थालय

शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी, 1997 (फाल्गुन ९, १९१८)

समय १०.३० बजे दिन विधान सभा की वित्तीक विधिक कार्य सूची

१. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वित्तित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

२. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(१) सर्वश्री लक्ष्मीकांत शर्मा, ईश्वरदास रोहाणी, रमेशचन्द्र शर्मा, सदस्य, भोपाल के पुराना कबाड़खाना क्षेत्र में लूट की घटित घटना की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(२) श्री सोबरन सिंह मार्वई, सदस्य, मुरैना जिले में सुनिश्चित रोजगार योजना की राशि के उपयोग में अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(३) श्री लक्ष्मण सिंह गौड़, सदस्य, इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा नाले पर भवन का निर्माण होने की ओर पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(४) सर्वश्री कमल पटेल, मनोहरलाल राठौर, सदस्य, होशंगाबाद जिले के हरदा अनुविभाग में कृषकों को सिंचाई हेतु पानी न मिलने की ओर उप मुख्यमंत्री (जलसंसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(५) डॉ. ढाल सिंह बिसेन, सदस्य, सिवनी जिले के सुखागरस्त ग्रामों में छूपन की नियुक्तिसूली किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(६) श्री रामेश्वर अखण्ड, सदस्य, उज्जैन जिले की घटिटया जनपद पंचायत द्वारा अवैध नियुक्तियाँ किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(७) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, रायपुर शहर की बेशकीमती भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (राजस्व) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(८) श्री छतराम देवांगन, सदस्य, बिलासपुर जिले के बालौदा विकास खण्ड के कुछ ग्रामों में अवैध उत्तरान होने की ओर राज्यमंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(९) श्री मोती कश्यप, सदस्य, जबलपुर में अवैध पशुवध होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

३. वर्ष 1997-98 के अनुदान की मांग पर मतदान (क्रमशः)

निर्धारित
समय

१ घन्टा

मांग संख्या ६९

नगरीय कल्याण विभाग से संबंधित व्यय।

४. शासकीय विधि विषयक कार्य

१ घन्टा

श्री जालम सिंह पटेल, राज्यमंत्री वाणिज्यिक कर, प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 1997 (क्रमांक ४ सन् 1997) पर विचार किया जाए।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

महानीति नियम - २-

प्रिधारित समय

५. अशासकीय विधि विषयक कार्य

३० मि. श्री सुरेन्द्र सिंह सिसोदिया, सदस्य, प्रस्ताव करेंगे कि महात्मा गांधी ग्रामोदय विष्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९९७ (क्रमांक १ सन् १९९७) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

६. अशासकीय संकल्प

(१) श्री गौरीशंकर बिसेन, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

४० मि. "सदन का यह मत है कि प्रदेश के ऐसे समस्त विकास खण्ड एवं राजस्व निरीक्षक मण्डल जिनकी जनसंख्या वर्ष १९९१ की जनगणना अनुसार एक लाख हो गई है, उन्हें तहसील का दर्जा दिया जाय"।

(२) श्री सुरेन्द्र बर्मा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

४० मि. "सदन का यह मत है कि प्रदेश के ग्रामीण अंचलों के सभी तालाब मछली पालन से मुक्त कर सिवाई हेतु दिये जावे"।

(३) श्री बुजमोहन अपवाल, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

४० मि. "सदन का यह मत है कि प्रदेश में स्थापित होने वाले उद्योग कृषि भूमि पर स्थापित न हो"।

७. नियम ७२ के अधीन आवे बन्टे की चर्चा

(१) दिनांक १९ फरवरी, १९९७ को गृह मंत्री से पूछे गये तारीखित प्रश्न संख्या ९ (क्रमांक ३०९) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री ईश्वरदास रोहाणी, श्री मोती कश्यप, सदस्यगण चर्चा उठायेंगे।

(२) दिनांक १९ फरवरी, १९९७ को गृह मंत्री से पूछे गये परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या ४० (क्रमांक १८२३) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री प्रभात कुमार पाण्डेय, सदस्य, चर्चा उठायेंगे।

आशोक चतुर्वेदी

नियम ७२ के अधीन आवे बन्टे की चर्चा
मोती कश्यप
दिनांक : २७ फरवरी, १९९७

मध्यप्रदेश विधान सभा

मोती कश्यप जोड़ा गया विषयक विवाद नियम ७२ के अधीन आवे बन्टे की चर्चा
मोती कश्यप
दिनांक : २७ फरवरी, १९९७

मोती कश्यप जोड़ा गया विषयक विवाद नियम ७२ के अधीन आवे बन्टे की चर्चा
मोती कश्यप
दिनांक : २७ फरवरी, १९९७

मोती कश्यप जोड़ा गया विषयक विवाद नियम ७२ के अधीन आवे बन्टे की चर्चा
मोती कश्यप
दिनांक : २७ फरवरी, १९९७

मोती कश्यप जोड़ा गया विषयक विवाद नियम ७२ के अधीन आवे बन्टे की चर्चा
मोती कश्यप
दिनांक : २७ फरवरी, १९९७

मोती कश्यप जोड़ा गया विषयक विवाद नियम ७२ के अधीन आवे बन्टे की चर्चा
मोती कश्यप
दिनांक : २७ फरवरी, १९९७

मोती कश्यप जोड़ा गया विषयक विवाद नियम ७२ के अधीन आवे बन्टे की चर्चा
मोती कश्यप
दिनांक : २७ फरवरी, १९९७

मोती कश्यप जोड़ा गया विषयक विवाद नियम ७२ के अधीन आवे बन्टे की चर्चा
मोती कश्यप
दिनांक : २७ फरवरी, १९९७